संख्या–796 / III(2) / 11–78(प्रा0आ0) / 2006

प्रेषक,

महिमा,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 02 ~~अप्रैल~~ मई, 2011

विषयः– **जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बिजोपुरा से मिर्जापुर के मध्य हडवाहे नाले में 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बिजोपुरा से मिर्जापुर के मध्य हडवाहे नाले में 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0:– 2859 / III(2) / 08–78(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 22–08–2008 लागत ₹ 64.66 लाख की प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्र सं0:– 787 / 09 याता0 (हरि0)–पर्व0 / 2010 दिनांक 23–02–2011 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 95.91 लाख [पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 64.66 लाख + वर्तमान में आंकलित पुनरीक्षित लागत ₹ 31.25 लाख] है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 94.94 लाख [पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 64.66 लाख + वर्तमान में आंकलित पुनरीक्षित लागत ₹ 30.28 लाख] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– शासनादेश सं0:– 2859 / III(2) / 08–78(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 22–08–2008 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 64.66 लाख को समायोजित करते हुए इस कार्य हेतु उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही पुनरीक्षित आगणन की अनुमोदित धनराशि ₹ 94.94 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत ₹ 30.28 लाख में अवशेष कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब उक्त कार्य हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। यह शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी।

3– पुनरीक्षित आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– पुनरीक्षित आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12– कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाय, जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

14– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

15– उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0:–22 लेखाशीर्षक–5054–04–800–03–01–चालू निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से किया जायेगा।

16– यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली सं0:– 29(प्रा0आ0)/2006 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 790 (1)/III(2)/11–78(प्रा0आ0)/2006 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव